संख्या– 662/आठ–1–23–34बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः 19 जुलाई, 2023**

विषयः– वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण सम्बंधी कार्यकम कार्यान्वयन विभाग के पत्र संख्या–365/81–5–2023 दिनांक 13.07.2023 एवं वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने सम्बंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन पत्र संख्या–आई/348567/2023 दिनांक 13.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– कार्यकम कार्यान्वयन विभाग के उक्त पत्र में वृक्षारोपण अभियान 2023–24 के तहत निर्धारित 25 करोड़ पौध रोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–सारणी निम्नानुसार तय की गयी हैः–

- दिनांक 22 जुलाई, 2023 : 30 करोड़ पौधारोपड़।
- दिनांक 15 अगस्त, 2023 : 05 करोड़ पौधारोपण।

3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र द्वारा दिनांक 13.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.07.2023 को मा0 मंत्रि परिषद की बैठक में मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान–2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ संचालित किये जाने का आह्वान किया गया है जिसके तहत समस्त शासकीय विभागों द्वारा दिनांक 22.07.2023 को कम से कम 30 करोड तथा दिनांक 15.08.2023 को 5 करोड पौधों का रोपण किया जाना है।

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दिवसों कमशः दिनांक 22.07.2023 एवं 15.08.2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण को एक 'उत्सव' के रूप में कियान्वित किया जाना है। इस सम्बंध में समस्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड आदि यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी कम से कम 1 पौधे का रोपण कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। समस्त विभागों सार्वजनिक उद्यम, नगर बोर्ड आदि के राज्य, मण्डल एवं जिल स्तर के कार्यालयों एवं उनके अन्तर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों के माध्यम से यथावश्यकता वृक्षारोपण हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करा ली जाय।

4– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दोनों पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
19.7.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

G.GO 21-22-23

Email से प्राप्त
संयुक्त मेल द्वारा भेजा गया

662 | आ 6-1-2023

File No.81/10/2023-05-, 31

I/348443/2023

वृक्षारोपण अभियान-2023

महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या- 365 /81-5-2023

78250/ACSH/23

सचिव/आ-1

VS(P)

14.7.23

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2023

7265/PS/SH/23
VS(H)

विषय: वर्ष 2023-24 के वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 11-07-2023 को माननीय मंत्री परिषद की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान 2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ संचालित किये जाने का आह्वान किया गया है जिसके तहत समस्त शासकीय विभागों द्वारा दिनांक 22-07-2023 को कम से कम 30 करोड तथा दिनांक 15-08-2023 को 5 करोड पौधों का रोपण किया जाना है।

8065/UJS
J.S.

14.7.2023
निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन वि
उत्तर प्रदेश शासन।

2. वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दिवसों क्रमशः दिनांक 22-07-2023 एवं 15-08-2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण को एक 'उत्सव' के रूप में क्रियान्वित किया जाना है। इस संबंध में समस्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड, आदि यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी कम से कम 1 पौधे का रोपण कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। समस्त विभागों सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड, आदि के राज्य, मण्डल एवं जिले स्तर के कार्यालयों एवं उनके अंतर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों के माध्यम से यथावश्यकता वृक्षारोपण हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करा ली जाय।

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. वृक्षारोपण अभियान 2023 में कदम्ब, अमलतास, नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, शीशम, अशोक, कनक चम्पा, जकरन्डा, पीपल, पाकड़, बरगद एवं अन्य शोभाकार प्रजातियों का रोपण किया जा सकता है। वन विभाग की पौधशालाओं में पर्याप्त मात्रा मे उच्च गुणवत्ता एवं स्वस्थ पौधों को उगाया गया है और सरकार ने सम्बन्धित शासकीय विभागों/ संस्थाओं के माध्यम से इन पौधों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

14.7.2023

14.7.23

4. अतः वृक्षारोपण अभियान-2023 में राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता प्राप्त करते हुए इसे वृहद अभियान का रूप दिया जाये। जनपद में उक्त के सम्बन्ध में ऐसा वातावरण सृजित किया जाये कि आम जनमानस भी स्वयमेव इस अभियान से जुड़ जाये।

5. दोनों वृहद वृक्षारोपण दिवसों के तीन दिन बाद जनपद में सभी कार्यालय जिलाधिकारी के माध्यम से एवं शासन में विभाग अपने अधीन विभागाध्यक्षों, निगम, परिषद आदि की समेकित सूचना, यानि कुल कितने पौधे उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगाये गये हैं, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को email: psforest2015@gmail.com पर भेजेंगे तथा फोटो/वीडियो पोर्टल : http://upfd.in/UPFDmedia/Secure/login/login.aspx पर अपलोड करेंगे।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 13-07-2023 12:33:11
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

पत्रांक- 365 /81-5-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास /पंचायती राज/राजस्व/गृह/ आवास/औद्योगिक विकास/नगर विकास/ लोक निर्माण/सिंचाई/ रेशम /कृषि/पशुपालन/ सहकारिता/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/ ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/ श्रम/परिवहन/उद्यान/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/आबकारी /आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/एन0 आर0आई0/कृषि शिक्षा अनुसंधान/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/कार्मिक/कार्यक्रम कार्यान्वयन/खादी एवं ग्रामोद्योग/खेलकूद /खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/ खाद्य एवं रसद/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/दुग्ध विकास/धर्मार्थ/ न्याय/विधायी/नागरिक उड्डयन/नियोजन/ निर्वाचन/ नियुक्ति/ प्रशासनिक सुधार/ पर्यटन/पुनर्गठन समन्वय/पिछड़ा वर्ग कल्याण/परती भूमि विकास/ भाषा/भूतत्व एवं खनिकर्म/महिला एवं बाल विकास/मत्स्य/युवा कल्याण/राज्य सम्पत्ति/ राष्ट्रीय एकीकरण/लोक सेवा प्रबन्धन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/वित्त/विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी/दिव्यांगजन सशक्तीकरण/वाह्य सहायतित परियोजना/सतर्कता/संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/संसदीय कार्य/समाज कल्याण/सूचना/संस्कृति/ सार्वजनिक उद्यम /सामान्य प्रशासन/सचिवालय प्रशासन/समन्वय/समग्र ग्राम विकास/हथकरघा वस्त्र

उद्योग/होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

5. हेडक्वार्टर सेन्ट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।

6. डी0आर0एम0, एन0आर0 एवं एन0ई0आर0, रेलवे विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।

7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)। समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।

9. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।